न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–146/2026
(सत्र वाद सं0–438/2011)
अलौली थाना काण्ड सं0–128/10
सुरतिलाल यादव – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।

11.03.2026

आवेदक/अभियुक्त–**सुरतिलाल यादव** की ओर से दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री गजेन्द्र कुमार के द्वारा को प्रचालित किया गया। जमानत की प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी है। मामला जमानत का दुरूपयोग का है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक प्रस्तुत मामले में जमानत पर था। अभिलेख दं0प्र0सं0 की धारा–313 के तहत बयान हेतु निर्धारित था तथा आवेदक की ओर से मामले में उचित पैरवी नहीं किये जाने के कारण उसका जमानत बंध–पत्र खण्डित कर दिया गया। आवेदक की ओर से जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है। अब उसके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा प्रत्येक निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा यह स्वीकार किया गया कि मामला जमानत के दुपयोग का है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद में जमानत पर था। अभिलेख दं0प्र0सं0 की धारा–313 के तहत बयान हेतु निर्धारित था तथा आवेदक को मामले में सदेह उपस्थित रहने का निर्देश था, इसके बावजूद भी, जब वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, तो उसका जमानत बंध–पत्र दिनांक 18.10.2025 को विखण्डित कर दिया

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–146/2026
(सत्र वाद सं0–438/2011)
अलौली थाना काण्ड सं0–128/10

लगातार
11.03.2026

और उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि उसने जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किय है, अब उसके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा प्रत्येक निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगा। आवेदक आज स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है तथा मामले में दं0प्र0सं0 की धारा–313 के तहत बयान भी दर्ज कर लिया गया है, ऐसी दशा में उसे जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।